



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 1965/कार्तिक 27, 1887

No. 164] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 1965/KARTIKA 27, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 18th November, 1965

No. 6(1)-Tar./65.—The Tariff Commission has submitted its Report on the continuance of protection to the Sheet Glass and Figured Glass Industry and grant of protection to Wired Flat Glass Industry on the basis of an inquiry undertaken by it under Sections 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951). Its recommendations are as follows:—

- (1) The existing rate of protective duty on sheet glass and figured glass should be increased to 100 per cent *ad valorem* and extended for a further period of three years ending December 31, 1968. This rate should apply to flat glass comprising sheet glass manufactured by drawing by the Pittsburgh Plate Glass (P.P.G.) or Fourcault process and figured and wired glass.

- (2) In order to make the nomenclature more comprehensive the industry may be referred to as flat glass. As and when there is further diversification of production in the field of flat glass the desirability of extending the scope of protection to cover other varieties too may be examined at the appropriate stage.
- (3) The Railway administration may examine in the light of the latest developments the request of Indo-Asahi Glass Co. Ltd. for allowing it to move silica sand in ordinary wagons instead of box wagons until the railway siding is constructed.
- (4) It is desirable to maintain expansion of capacity in proportion to demand and great caution is necessary for the future in allowing any further expansion or licensing of new units.
- (5) While it is presumed that the State Trading Corporation charges a high price for imported heavy soda ash in order to maintain parity with the current market price of indigenous heavy soda ash, it would help the industry to bring down costs, if such heavy soda ash as has to be imported is made available to the flat glass units under actual users licences in equitable proportions as between the several units.
- (6) Steps should be taken by Government to make soda ash and silica sand available at lower cost to manufacturers of flat glass.
- (7) Since the indigenous production of salt cake is more than sufficient to meet the requirements of flat glass industry it is necessary to discourage imports of salt cake.
- (8) Since limestone and dolomite are important minerals not only for flat glass industry but also for other industries, it would be advisable to prescribe standards for them and to ensure that the material of the right quality is supplied to flat glass producers.
- (9) Steps should be taken by the Government of India and the State Governments with the help of the interests concerned to grade silica sand in accordance with the ISI standards before consignments are despatched to users.
- (10) The case of Shree Vallabh Glass Works Ltd. which requires foreign exchange to the extent of Rs. 50,000/- for installing the requisite machinery for pulverising quartz may be favourably considered by Government.
- (11) The whole position of the mining of silica sand in the district of Allahabad should be carefully examined by the Government of India and the Government of Uttar Pradesh.
- (12) The Government of Madras should consider the desirability of releasing the requisite deposits of silica sand at Ennore in favour of Madras Sheet Glass Works Pvt. Ltd. and utilising this valuable raw material to the best advantage.
- (13) The glass industry needs to pay more attention to the technique and process of packing in order to avoid breakages.
- (14) It would be worthwhile for the flat glass industry to explore the possibilities of exports to nearby countries and make efforts to promote larger exports.

2. Government have given careful consideration to recommendations (1) and (2) and having regard to the progress the industry has made so far and the fact that in the present circumstances there is no likelihood

- (1) कांच की चादरो तथा चित्रित कांच पर संरक्षित शुल्क की वर्तमान दरें मृत्यानुसार 100 प्रतिशत बढ़ा दी जानी चाहिए और इसे तीन वर्ष की आगामी अवधि जोकि 31 दिसम्बर, 1968 तक समाप्त होती है बढ़ा दिया जाय। यह दर चपटे कांच की जिस में पिट्सबर्ग प्लेट ग्लास (पी० पी० जी०) की खिचाई द्वारा निमित्त या फोरकल्ट विधि द्वारा तैयार की गई कांच की चादरें भी शामिल है तथा चित्रित और तारयुक्त कांच पर लागू होना चाहिए।

- (2) नामकरण की और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से उद्योग का उल्लेख चपटा कांच के नाम से किया जाय और जब चपटे कांच के क्षेत्र में उत्पादन और भी अधिक विविध प्रकार का होने लगे तो उपयुक्त अवसर पर अन्य मिसों को भी संरक्षण के क्षेत्र में ले आने की वांछनीयता पर विचार किया जाय ।
- (3) नवीनतम विकास के प्रकाश में रेलवे प्रशासन को इण्डो-असाही ग्लास कं० लि० की इस शर्यता पर विचार करना चाहिये कि जब तक कि वे साहसिक तैयार नहीं हो जाती तब तक उसे बन्द डिब्बों के बदले साधारण डिब्बों में ही सिलिका रेत मंगाने की अनुमति दी जाय ।
- (4) मांग के अनुपात में क्षमता का विस्तार करना वांछनीय है किन्तु अभिव्य में किसी भी और अधिक विस्तार की अनुमति प्रथम नये कारखानों के लिये लाइसेन्स देते समय अत्यधिक सावधानी रखना आवश्यक है ।
- (5) जब कि यह मान लिया जाता है कि देश में बने भारी सोडा ऐश के वर्तमान बाजारी मूल्य के बराबर ही विदेशी से आने वाले भारी सोडा ऐश के मूल्य रखने के उद्देश्य से राज्य द्वारा निगम विदेशी सोडा ऐश का अधिक मूल्य लेता है । इसलिये यदि आयातित सोडा ऐश चपटा कांच बनाने वाले कारखानों को वास्तविक उपयोगिता लाइसेन्सों के अन्तर्गत कई कारखानों को उचित अनुपात में उपसब्ध किया जाय तो इससे उद्योग को अपनी लागत घटाने में सहायता मिलेगी ।
- (6) सरकार द्वारा चपटा कांच बनाने वालों को कम लागत पर सोडा ऐश तथा सिलिका रेत उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें ।
- (7) चूंकि चपटा कांच उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये नमक की कसलों का देश में काफी उत्पादन होता है इसलिये इनके आयात को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है ।
- (8) चूंकि चूना तथा डोलोमाइट न केवल चपटा कांच उद्योग के लिये ही बरन् अन्य उद्योगों के लिये भी महत्वपूर्ण है इसलिये उनके लिये मानक तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि चपटा कांच बनाने वालों को ठीक किस्म का मान दिया जाय ।
- (9) भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा सम्बद्ध हितों की सहायता से सिलिका रेत का ऐसा वर्गीकरण करने के कदम उठाये जाने चाहियें जो भारतीय मानकशाला के मानकों के अनुरूप हों । माल की खेप उपयोक्ताओं को भेजने से पूर्व ऐसा हो जाना चाहिये ।
- (10) श्री बल्लभ ग्लास वर्क्स लि० को Quartz Pulverise करने की मशीनें लगाने के लिये जो 50,000 रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है सो उसके मामले पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये ।
- (11) इलाहाबाद जिले में सिलिका रेत के खनन की समस्त स्थिति पर भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश की सरकार को सावधानी से विचार करना चाहिये ।
- (12) मदरास सरकार को चाहिये कि एन्नोर के सिलिका रेत को मदरास शीट ग्लास वर्क्स प्रा० लि० को आवश्यक परिमाण में दिये जाने तथा इस मूल्यवान कच्चे माल का सर्वोत्तम उपयोग किये जाने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिये ।

- (13) टट फट बचाने के उद्देश्य से कांच उद्योग द्वारा पैकिंग की प्रविधि तथा प्रणाली की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।
- (14) चपटा कांच उद्योग के लिये निकटवर्ती देशों को निर्यात करने की सम्भावनाओं की खोज बिन करना लाभप्रद होगा और उसे अधिक परिमाण में निर्यात करना चाहिये ।

2. सरकार ने सिफारिश (1) और (2) पर सावधानी से विचार किया है और उद्योग द्वारा अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी देखते हुए कि वर्तमान अवस्था में आयात से कोई बुरी प्रतिस्पर्धा होने की सम्भावना नहीं है, सरकार का विचार है कि चपटा कांच उद्योग का टैरिफ संरक्षण 31 दिसम्बर, 1965 से प्रागे जारी रखना आवश्यक नहीं है ।

फिर भी सरकार का प्रस्ताव है कि प्रशुल्क की दर 100 प्रतिशत ही बनी रहे जैसी कि वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत अभी ली जाती है और यह दर प्रशुल्क की उच्च दर के अनुरूप है जिसकी टैरिफ आयोग ने सिफारिश की है । सरकार के निश्चयों को अमल में लाने के लिये आवश्यक कानून यथासमय बनाया जायगा ।

3. सरकार ने सिफारिश (3) से (9) नोट कर ली हैं और उन्हें दृष्टि सम्मत ढंग में लाने के कदम उठाये जायेंगे । राज्य सरकारों तथा चपटा कांच उत्पादकों का ध्यान भी सिफारिश (9) की ओर दिलाया जाता है ।

4. सरकार ने सिफारिशों (10) और (11) नोट कर ली हैं । उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान सिफारिश (11) की ओर दिलाया जाता है ।

5. मद्रास सरकार का ध्यान सिफारिश (12) की ओर दिलाया जाता है ।

6. कांच उद्योग का ध्यान सिफारिश (13) और (14) की ओर दिलाया जाता है ।

आवेष्ट

आवेष्ट दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय और इसकी एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जाय ।

(पी० के० जे० मेनन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

